


"HDPE/PP बैग खरीद हेतु सार्वजनिक निविदा की शर्तें एतद्वारा निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-


- 1- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के अधीन दोनों सम्भागों के केन्द्रों हेतु खरीद-खरीद सत्र 2019-20 एवं रबी खरीद सत्र 2020-21 हेतु HDPE/PP बैग खरीद हेतु निर्माता फर्मों/संस्थाओं अथवा निर्माता फर्मों/संस्थाओं द्वारा अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।
- 2- निविदाये द्विनिविदा प्रणाली (Two Bid System) यथा तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के अनुसार आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून उत्तराखण्ड ' अथवा उनके द्वारा नामित समिति द्वारा खोली जायेंगी।
- 3- निविदादाता को तकनीकी तथा वित्तीय निविदा पृथक-पृथक उपलब्ध करायी जानी होगी। निविदा नियमों के अन्तर्गत तकनीकी निविदा से संबंधित अभिलेख एक लिफाफे में तथा वित्तीय निविदा से संबंधित अभिलेख एक लिफाफे में जिस पर कमशः "HDPE/PP बैग खरीद हेतु आमंत्रित तकनीकी निविदा" तथा दूसरे लिफाफे पर "HDPE/PP बैग खरीद हेतु आमंत्रित वित्तीय निविदा" अंकित होना चाहिये तथा उक्त दोनो लिफाफे तीसरे एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखे जायेंगे जिस पर " HDPE/PP बैग खरीद हेतु आमंत्रित निविदा" लिखा होना चाहिये, को सील बन्द कर दिनांक 13.04.2020 को अपराहन 2.00 बजे तक "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून उत्तराखण्ड" के पते पर पंजीकृत डाक/कोरियर या व्यक्तिगत/दस्ती के माध्यम से उपलब्ध करायी जानी होगी।
- 4- निविदादाता को निविदा "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून उत्तराखण्ड " द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी तथा वित्तीय निविदा के प्रारूप में ही अनिवार्य रूप से देनी होगी। "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून उत्तराखण्ड " द्वारा दिये गये प्रारूप पर निविदा की दरें न दिये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5- निविदादाता को विभाग द्वारा तैयार निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र को नकद/ड्राफ्ट के रूप में शुल्क ₹3,000-00 (₹ तीन हजार मात्र) देना होगा, जो कि Non Refundable होगा। यदि आवेदन शुल्क की धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित की जाती है तो वह धनराशि "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून " के नाम से देय होगा। यदि निविदा विभागीय वेबसाईड- www.fcs.uk.gov.in से डाउनलोड की जाती है तो आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट निविदा जमा करते समय निविदा के साथ जमा किया जायेगा।
- 6- निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ धरोहर धनराशि(ई0एम0डी0) ₹ 5,00,000.00 (₹ पांच लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 के रूप में, जो कि "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून " के नाम बंधक हो तथा निविदा सूचना जारी होने के तिथि के बाद की बनी हो, तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून " के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि मूल ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जमा नहीं किये जाते हैं तो तकनीकी निविदा अपूर्ण मानी जायेगी।
- 7- निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को अन्तिम तिथि दिनांक 13.04.2020 को अपराहन 02.00 बजे तक निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 मूल रूप में बन्द लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ संलग्न कर आयुक्त, खाद्य को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।



- 8- निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने पर सफल निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं की धरहरा धनराशि को वापस कर दी जायेगी।
- 9- निविदादाता को वर्ष 2018-19 को वार्षिक टर्न ऑवर न्यूनतम ₹ 2,00,00,000.00 (₹ दो करोड़ मात्र) प्रति वर्ष होना आवश्यक है। टर्न ऑवर से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2018-19 की सी0ए0 के द्वारा सम्प्रेक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित छायाप्रति भी तकनीकी निविदा के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि मूल अभिलेखों की छायाप्रति जमा नहीं किये जाते हैं तो तकनीकी निविदा अपूर्ण मानी जायेगी तथा निरस्त कर दी जायेगी।
- 10- निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म आदि को ₹ 100 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा कि:-
 (क) फर्म आदि किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।
 (ख) किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 (ग) तकनीकी निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था छिपाई नहीं गई है।
- 11- निविदादाता फर्म आदि को आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हो, का बकायादार/देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के जमा आयकर रिटर्न से सम्बन्धित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- 12- तकनीकी निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर निम्नलिखित अभिलेखों आदि की प्रमाणित छायाप्रति जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी की मुहर भी लगी हो तथा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किये गये हों ANNEXURE-1 पर सारांश सहित रखी होनी चाहिये :-
 1-GST रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेख स्व प्रमाणित छायाप्रति।
 2-फर्म आदि का पैन/टैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 3-अपेक्षित वित्तीय वर्षों की टर्नओवर से सम्बन्धित सी0ए0 द्वारा सम्प्रेक्षित बैलेंसशीट की प्रमाणित छायाप्रति।
 4-ब्लैक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ पत्र मूल में।
 5-किसी भी प्रकार के कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होने, वित्तीय वर्ष 2018-19 तक (विगत तीन वर्षों के) जमा आयकर रिटर्न से सम्बन्धित रसीद/अभिलेख।
 6-धरहरा की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो आदि अपेक्षानुसार।
 7-निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किये गये हों।
 8-अन्य अभिलेख यदि कोई हों, फर्म/कम्पनी की मुहर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित।
- 13- निविदा शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति किये जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान होने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी आदि को एक माह पश्चात अथवा निविदा की वैधता समाप्ति के पश्चात आयुक्त खाद्य के निर्देशानुसार ही उनकी जमानत की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।
- 14- देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार आयकर/टी0डी0एस0 आदि की कटौतीकी जायेगी। भुगतान की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा बिलों को सत्यापित कराये जाने के पश्चात आयुक्त, खाद्य द्वारा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- 15- सामान्यतः धरोहर धनराशि की वैधता निविदाकी अन्तिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी रूप से असफल निविदादाताओं की धरोहर की धनराशि ऐसी निविदाओं की अस्वीकृति के तुरन्त पश्चात सम्बन्धित फर्म को वापस लौटा दी जायेगी।
- 16- निविदा के वैधता एक वर्ष होगी किन्तु कदाचित अपरिहार्य परिस्थिति में निविदा की वैधता की अवधि को कम करने और समाप्त करने अथवा 01 वर्ष बढ़ाने का सर्वाधिकार आयुक्त, खाद्य के पास सुरक्षित रहेगा।
- 17- सफल निविदा-दाता को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निर्धारित माप, गुणवत्ता के अनुरूप ही आवश्यकतानुसार HDPE/PP बैग की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।
- 18- अपूर्ण निविदा पर निविदा समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा और न ही निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने दिया जायेगा।
- 19- आपूर्ति किये जाने वाले बैग पर उत्तराखण्ड सरकार का मार्का/लोगो आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम बोरे के सामने की तरफ गहरे नीले रंग से निम्नानुसार प्रिन्ट किया जायेगा।

इसका प्रयोग न करें।
शुद्ध वजन 50 किलोग्राम



उत्तराखण्ड सरकार



फसल वर्ष : रबी विपणन २०२०-२०२१

कमोडिटी : गेहूँ

Manufacturer: _____

[Manufactured in India]

इसका प्रयोग न करें।
शुद्ध वजन 50 किलोग्राम



उत्तराखण्ड सरकार



फसल वर्ष : खरीफ विपणन २०१९-२०२०

कमोडिटी : धान

Manufacturer: _____

[Manufactured in India]

- 20- सफल निविदादाता को निविदा हेतु ₹ 50,000/- (₹ पचास हजार मात्र) जमानत धनराशि के रूप में कार्यादेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर एफ0डी0आर0 अथवा एन0एस0सी0 के रूप में, जो कि "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून " के नाम बनी हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगा।
- 21- HDPE/PP बैग (बेल्स) की केन्द्रवार सारणी Annexure-V पर संलग्न है।
- 22- सफल निविदा दाता को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार HDPE/PP बोरे की आपूर्ति (FOR) सम्बन्धित केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जानी होंगी। बोरे की आपूर्ति समयान्तर्गत न किये जाने पर अवशेष बोरे की मात्रा के समतुल्य धनराशि की 02 प्रतिशत धनराशि प्रति सप्ताह की कटौती आपूर्तिकर्ता फर्म से सुनिश्चित की जायेगी।
- 23- HDPE/PP बैग की विशिष्टियां (As per BIS Standard)- (HDPE/ PP Bag) 50 Kg- Size- width 55 cm(±5) , Length-100 cm (±5).Weight- Light weight, 140 gm. (±10) Top- Heat Cut/open mouth, Bottom- Folded and double stiched.

King

क्रमशः.....

- 24- सम्बन्धित सफल निविदादाताओं को HDPE/PP निर्मित बोरे की गुणवत्ता की जांच Central Institute of Plastics and Engineering of Technology (CIPET), LUCKNOW से करायी जायेगी जिसका व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा, परन्तु यदि आपूर्ति किये गये HDPE/PP बैग गुणवत्ता जांच में अधोमानक के पाये जाते हैं तो गुणवत्ता परीक्षण में हुए सम्पूर्ण व्यय के भुगतान का दायित्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म/सफल निविदादाता का होगा।
- 25- विभाग द्वारा दृष्टि परीक्षण में बोरा ठीक पाये जाने पर ही बोरा स्वीकार्य होगा। बोरे अधोमानक पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सूचना प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर बोरो को बदलकर कर BIS मानक के अनुरूप नया बोरा उपलब्ध कराया जायेगा। बोरा न बदले जाने की स्थिति में अधोमानक मात्रा के समतुल्य धनराशि के 02 प्रतिशत की कटौती आपूर्तिकर्ता फर्म से की जायेगी।
- 26- आपूर्ति किये गये HDPE/PP बोरो का भुगतान सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा आवंटित बोरो की प्राप्ति रसीद, आपूर्ति फर्म के बिल एवं अन्य प्रपत्रों का परीक्षण स्वयं एवं वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी, गढवाल एवं कुमायूँ से कराते हुए भुगतान की स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त बिल विपत्र आयुक्त, खाद्य को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन पर भुगतान की कार्यवाही विपत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।
- 27- यह आभास होने पर कि सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्य में अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है और समय से पूर्ण होने की सम्भावना प्रतीत नहीं हो रही है तो ऐसी परिस्थितियों में बिना कारण बताये किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड" को होगा।
- 28- किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण "सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून" को संदर्भित किया जायेगा और उनका निर्णय सभी पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- 29- निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर सहित निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।
- 30- निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड" के पास सुरक्षित रहेगा।
- 31- सफल निविदादाता को कोई भी धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान नहीं की जायेगी।
- 32- सफल निविदादाता को HDPE/PP बोरो की आपूर्ति सफलतापूर्वक सम्पादित कराने के पश्चात बिल/देयक 02 प्रतियों में "आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाई पास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून उत्तराखण्ड, देहरादून " को निम्न सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराये जाने होंगे यथा व्यक्ति/फर्म/संस्था का नाम-, संस्था का बैंक खाता संख्या-, बैंक का नाम-, बैंक शाखा का नाम-, बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड इत्यादि।
- 33- निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 13.04.2020 तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत खाद्यायुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या-0135-2780778 पर सम्पर्क किया जा सकता है। कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व सफल निविदादाता का समिति द्वारा चयनित नमूने के अनुरूप HDPE/PP बैग के 05-05 (पांच-पांच) नमूने प्रति जनपद के हिसाब से मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।



तकनीकी निविदा

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड।

महोदय,

मैं/हम/हमारी संस्था.....आपके कार्यालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के विभिन्न केन्द्रों हेतु आमंत्रित निविदा खरीफ-खरीद सत्र 2019-20 एवं रबी विपणन सत्र 2020-21 हेतु HDPE/PP बैग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही है।

मैं/हम/हमारी संस्था अपने आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख की स्वंप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर रहा हूँ/रही है:-

- 1-आवेदक/निविदादाता का नाम/फर्म/कम्पनी.....
- 2-पिता/पति का नाम.....
- 3-पता.....
- 4-पहचान (राशन कार्ड/परिचय पत्र/फोटो पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट इत्यादि)संख्या.....
- 5-पैन नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें).....
- 6-जी0एस0टी0एन0 नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें).....
- 7-धरोहर धनराशि earnest money deposit (EMD) ₹ 5,00,000/- (₹ पाँच लाख मात्र)
- 8-वार्षिक टर्नओवर वर्ष 2018-19 का प्रमाण पत्र.....
(Balance Sheet अथवा CA प्रमाण पत्र)
- 9-सम्पर्क दूरभाष/मोबाइल नम्बर.....

कृपया मेरा/हमारी फर्म/संस्था का आवेदन पत्र स्वीकार करने का कष्ट करे।

भवदीय

हस्ताक्षर.....

(आवेदक/निविदादाता)

फर्म/संस्था की मोहर

मोबाइल नम्बर.....

टेलीफोन.....

ई-मेल आई0डी0.....

Declaration Regarding Clean Track Record

To,

The Commissioner
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
Department, Uttarakhand, Dehradun.

Subject: Regarding Clean Track Record.

Sir,

I/We have carefully gone through the terms & conditions contained in the Tender Document regarding submission of proposals for supply of HDPE/PP bags. I/we hereby declare that my/our Company/firm has not been debarred/ black listed by any Government/Semi Govt. Organization in India. I/we further certify that I/we am/are an authorized signatory of my/our company/firm and I/we am/are, therefore, competent to make this declaration.

Yours' truly

Signature-----

Name: _____

Designation: _____


Company:

Address: _____

Mobile:-----

Telephone No:-----

E-mail ID:-----



Declaration to Adherence to the Terms and Conditions outlined in the Tender Document

To,

The Commissioner
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
Department, Uttarakhand, Dehradun.

Subject: Adherence to the Terms and Conditions outlined in the Tender Document.

Sir,

I/we have carefully gone through the terms and conditions outlined in the tender document regarding submission of proposals for supply of HDPE/PP bags related tender. I/we declare that all the provisions/conditions of this tender document are acceptable to my/our Company/firm. I/we further certify that I/we am/are an authorized signatory of my/our company/firm and am/are therefore, competent to make this declaration.

Yours' truly

Signature-----

Name: _____

Designation: _____


Company:

Address: _____

Mobile:-----

Telephone No:-----

E-mail ID:-----



वित्तीय निविदा

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड।

महोदय,

मैं/हम/हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी.....आपके
कार्यालय में HDPE/PP बैग की आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदायें निम्नानुसार दरें दे रहे हैं :-

1-धनराशि (अंको में) ₹.....प्रति बेल (500 बोरा)

2-धनराशि (शब्दों में) ₹.....

.....प्रति बेल (500 बोरा)

कृपया मेरी/हमारी फर्म/संस्था की वित्तीय निविदा स्वीकार करने का कष्ट करे।

भवदीय

हस्ताक्षर.....

(आवेदक/निविदादाता)

फर्म/संस्था की मोहर

मोबाईल नम्बर.....

टेलीफोन.....

ई-मेल आईडी.....



Annexure-V

HDPE/PP बैग की केन्द्रवार आपूर्ति की जाने वाली अनुमानित बेल्स की संख्या।

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	गन्तव्य केन्द्र का नाम	बोरों की संख्या	
			खरीफ खरीद सत्र 2019-20	रबी खरीद सत्र 2020-21
1.	गढवाल सम्भाग	बहादुराबाद	0	30
		भगवानपुर	0	20
		ज्वालापुर	0	20
		लक्सर	0	50
		मंगलौर	0	50
		रुड़की	0	20
		विकासनगर	0	20
योग			0	210
2.	कुमायूँ सम्भाग	जसपुर	200	250
		गदरपुर	200	250
		हल्द्वानी	20	30
		काशीपुर	200	320
		खटीमा	200	300
		किच्छा	200	300
		नानकमत्ता	200	300
		रामनगर	40	40
		रुद्रपुर	90	150
		सितारगंज	200	300
योग			1550	2240
महायोग			1550	2450

नोट:- 500 बेल्स की आपूर्ति दिनांक 18.04.2020 तक , 1000 बेल्स 22.04.2020 तक , 2000 बेल्स की आपूर्ति 30.04.2020 तक तथा 500 बेल्स की आपूर्ति 05.05.2020 तक की जायेगी।